राष्ट्र महिला

खंड 1, संख्या 149 | दिसम्बर 2011 राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित

सम्पादकीय

जैसे–जैसे हम इस वर्ष के अवसान के निकट पहुंच रहे है, यह देख कर मन में बड़ा संताप महसूस होता है कि महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधो में भयास्पद वृद्धि हुई है।

राष्ट्रीय अपराध रेकार्ड ब्यरो के 2010 के प्रकाशन में कहा गया है कि देश में वर्ष 2009 में भारतीय दंड संहिता तथा स्थानीय कानूनों के दायरे के महिलाओं के प्रति होने वाले कुल 2,03,804 अपराध दर्ज कराए गये जब कि इनकी संख्या 2010 में बढ़ कर 2,13,585 हो गयी, अर्थात् 2010 में इन अपराधों में 4.8% की वृद्धि हुई।

महिलाओं पर होने वाले अपराधों के आंकड़ों से कुछ और उभरती प्रवृत्तियां सामने आई हैं: (क) बलात्कार के मामलों में वर्ष 2009 की तुलना में 2010 में 3.6% की वृद्धि हुई। मध्य प्रदेश में बलात्कार की सबसे अधिक 3135 घटनाएं दर्ज हुयीं जो देशभर में घटी ऐसी घटनाओं का 14% है। लगभग 97% प्रतिशत मामले पीड़िताओं के जानकारों द्वारा अंजाम दिए गये जिनमें 7% परिवार के सदस्य और 35% पड़ोसी थे (ख) दहेज हत्याओं में 0.1% की वृद्धि हुई, पति या रिश्तेदारों द्वारा उत्पीड़ित किए जाने वाले (भारतीय दंड संहिता की धारा 498क के अंतर्गत) मामलों में इस दौरान 5% की वृद्धि हुई। पश्चिम बंगाल में इन मामलों की संख्या 17796 थी (ग) यद्यपि महिलओं एवं बच्चों के अनैतिक व्यापार के मामले तेजी से बढ़े हैं, देश भर में केवल 2499 ऐसे मामले दर्ज कराए गये। इनमें सबसे अधिक तामिलनाडु (567) और आंध्र प्रदेश (548) में दर्ज हुए।

देश के शहरों को लिया जाये तो देश में कुल अपराधों के 16% अपराध अर्थात् 3886 दिल्ली में दर्ज हुए और इसके बाद हैदराबाद में (घ) यौन उत्पीड़न के अपराधों में, वर्ष 2010 में 2009 की अपेक्षा 9 प्रतिशत वृद्धि हुई।

चर्चा में

महिलाओं के प्रति बढ़ते हुए अपराध

महिलाओं के प्रति अपराधों के ये मामले विक्षुब्ध करने वाले हैं, किन्तु वास्तविकता इससे भी बदतर है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह संख्या वह है जो सतह पर दिखाई देती है क्योंकि इन मामलों की बड़ी संख्या तो दर्ज ही नहीं कराई जाती और पुलिस भी इन्हें दर्ज करने से कतराती है।

विशेषज्ञों का कहना है कि इस भयास्पद वृद्धि का कुछ स्पष्टीकरण यह भी दिया जा सकता है कि महिला पीड़ितों तथा परिवारों में जागरूकता बढ़ी है और समाज में महिलाओं के प्रति बढ़ती हुई हिंसा के मामलों को पुलिस में दर्ज कराने में वे पहले जैसा संकोच महसूस नही करते।

एक और चिन्ताजनक बात यह है कि पुलिस एवं न्यायालयों द्वारा इन मामलों के निबटान में पहले से भी अधिक समय लग रहा है। वर्ष 1972 में (जब से कि ये आंकड़े उपलब्ध हैं) पुलिस ने दर्ज कराए गये बलात्कार के 71% मामलों की जाच और छानबीन की, किन्तु वर्ष 2010 में वह केवल 64% मामले निबटा सकी। सजा की दर भी 1971 में 41% से घट कर 2010 में 27% रह गई।

इसलिए, अब समय आ गया है कि अधिकारीगण महिलाओं की हिफाजत के बारे में अपनी सोच महज यहां तक ही सीमित न रखें कि रात को उन्हें पी सी आर वैन से घर पहुंचा दिया जाये या सुझाव दें कि रात के समय वें शहर में जायें तो साथ में पुरुष को ले जायें। शहरों की महिलाएं बाडीगार्ड नहीं चाहतीं, वे चाहती हैं कि जब वे अकेले या मित्रों के साथ बाहर निकलें तो सुरक्षित रहें।

अब इस बात का भी समय आ गया है कि महिलाओं के लिए शहरों को सुरक्षित करने की दिशा में प्रशासन कुछ व्यवहारिक कदम उठाए बजाय इसके कि उन्हें यह नसीहत दे कि कैसी पोशाक पहनें और किस समय बाहर निकलें।

कुछ अलग से

तीन वर्ष पूर्व पश्चिम बंगाल के पुरूलिया जिले की तीन लड़कियों ने बाल विवाह के विरूद्ध एक अभियान चलाया। पिछड़े वर्गों से आने वाली इन लड़कियों ने अपने परिवारों अैर समाज के ऐसे पहरेदारों के विरूद्ध खड़े होने का साहस जुटाया जो उनका विवाह 18 वर्ष की आयु से पूर्व ही करना चाहते थे। राष्ट्रपति ने उनके साहस से प्रभावित होकर उन्हें राष्ट्रपति भवन बुलाया और बधाई दी।

इतिहास ने फिर अपने आप को दोहराया है। उसी गांव की बीना कालिन्दी, मुक्ती माझी और संगीता बौरी नामक तीन अन्य लड़कियों ने भी बाल विवाह के विरूद्ध एक नयी पहल शुरू कर दी है। ये तीनों 'राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना' के बाल कार्यकर्त्ता की सक्रिय सदस्य हैं। उन्होंने ने भी अपने परिवार के सदस्यों द्वारा 18 वर्ष का होने से पूर्व उनका विवाह कराने के सभी प्रयत्नों का विरोध किया।

पुरुलिया के जिलाधीश ने कहा है कि तीनों लड़कियों को राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल ने आमंत्रित किया हैं क्योंकि समाज के सामने आदर्श प्रस्तुत करने वाली इन लड़कियों को वे व्यक्तिगत रूप से सम्मानित करना चाहती हैं।

इन लड़कियों की भूरि–भूरि प्रशंसा करते हुए जिलाधीश ने कहा कि ''ये लड़कियां हमारे गिरते हुए समाज की वास्तविक वीरांगनाएं हैं। वे केवल पुरुलिया की विभूति ही नहीं हैं अपितु समस्त देश इन बहादुर पुत्रियों पर गर्व करता है।''

भारत में अनैतिक मानव व्यापार को रोकना और सामना करना

राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संयुक्त रूप से 23 दिसम्बर, 2011 को नई दिल्ली में एक सेमिनार आयोजित किया जिसका विषय था **''भारत में अनैतिक मानव व्यापार को रोकना और उसका सामना करना।''** सेमिनार में वरिष्ट सरकारी अधिकारियों, राज्यों के महिला आयोगों की अध्यक्षाओं तथा गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

सुश्री ममता शर्मा उद्घाटन भाषण देते हुए

अपने उद्घाटन भाषण में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा सुश्री ममता शर्मा ने कहा कि अनैतिक मानव व्यापार का सामना करने के लिए सभी स्तरों पर अनेक लघु–कालीन एवं दीर्घ–कालीन उपाय किए जाने की आवश्यकता है। अनैतिक व्यापार के विरूद्ध आम जनता में जागरूकता पैदा करना अत्यंत आवश्यक है और इस दिश में मीडिया बहुत अहम भूमिका निभा सकता है। उन्होंने कहा कि इस समस्या का सामना करने के लिए गरीबी दूर करने के उपाय भी किए जाने चाहिए।

सुश्री शर्मा ने यह भी बताया कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने यूनीफेम के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके अनुसार वे मिल कर महिलाओं एवं लड़कियों के अनैतिक व्यापार के मुद्दे का मुकाबला उद्गम स्थान से ही करेंगे जहां से उन्हें इस अनैतिक व्यापार के लिए ले जाया जाता है। इसे रोकने के लिए सामुदायिक कार्यवाही किए जाने की योजना 6 राज्यों में प्रारंभ की गयी है। पहले उठाए जाने वाले कदमों में एक कदम होगा उद्गम क्षेत्रों की पहचान करना और सेमिनारों का आयोजन करके वहां के लोगों में जागरूकता पैदा करना। ऐसे क्षेत्रों के निर्धारण करने का अध्ययन राजस्थान, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में कर लिया गया है।

इस अवसर पर बोलते हुए, राष्ट्रीय मानवाधिकार के महासचिव श्री राजीव शर्मा ने इस अभिशाप को रोकने के लिए एक विशिष्ट कार्य योजना तैयार किए जाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि जो लोग इस

श्रोताओं को संबोधित करते हुए श्री राजीव शर्मा

घृणित कार्य में रत हैं उनकी धर–पकड़ की जानी चाहिए। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्या सुश्री चारू वलीखन्ना ने इस मुद्दे की गम्भीरता पर प्रकाश डाला तथा कुछ अध्ययनों का हवाला दिया। आयोग की सदस्य सचिव सुश्री अनिता अग्निहोत्री ने भागीदारों की स्वागत किया और अनैतिक व्यापार को रोकने के लिए लगातार प्रयत्न किए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया। आयोग की संयुक्त सचिव सुश्री मीनाक्षी घोष ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

बाद में 'मानव व्यापार–शोषणप्रायता का निर्धारण'; 'मानव व्यापार की रोकथाम करने के उपाय'; 'अनैतिक व्यापार के शिकार हुए व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए कानूनी ढांचा तथा कार्यक्रम/योजनाएं और समस्या के निदान की समेकित योजना' के मुद्दों पर तीन समितियों में चर्चा की गयी।

विभिन्न तकनीकी सत्रों में बोलने बाले व्यक्तियों में शामिल थे श्री शंकर सेन, प्रो0 मोन्दिरा दत्ता, श्री रविकान्त, श्रीमती इन्द्राणी सिन्हा, सुश्री रोजन्ना लिंगदोह, श्री पी0एम0 नायर, सुश्री रोमा देवव्रत, डा0 प्रीवण कुमार, डा0 सविता बाखरी, डा0 सुनीता कृष्णन आदि।

विचार–विमर्श से निकलीं कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें और अवलोकन इस प्रकार हैं :

(1) अनैतिक व्यापार के शिकार व्यक्तियों, विशेषकर बच्चों, का पुनर्वास, पुनः समावेशन और घर वापसी।
(2) गवाहों की सुरक्षा और पीड़ितों को सहायता
(3) दिलचस्पी रखने वाले सभी पक्षों को प्रशिक्षण, संवेदीकरण, शिक्षा और जागरुकता।

सदस्य सचिव सुश्री अनीता अग्निहोत्री चर्चा का सारांश देते हुए। बांयी ओर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के महा-सचिव श्री जे०पी० मीना और दांयी ओर राष्ट्रीय महिला आयोग की संयुक्त सचिव सुश्री मीनाक्षी घोष।

(4) अंतर–राज्यीय जांच–पड़ताल करने और उद्गम स्थान एवं गंतव्य स्थान का पता लगाने की आवश्यकता।
(5) एक राष्ट्रीय शिखर अभिकरण की स्थापना।
(6) आधार–आंकड़ों के संकलन एवं संभरण के लिए एक केन्द्रीय संस्था और समस्या की प्रकृति का जायजा लेने के लिए शोषणप्राय क्षेत्रों में सेमिनारों का आयोजन।

अवलोकन

(7) एक महत्वपूर्ण अवलोकन यह था कि पीड़ितों की आयु घटती ज रही है।
(8) अनैतिक व्यापारियों तथा वेश्यावृत्ति चलाने वालों के लिए अनैतिक व्यापार बड़ा लाभदायक और कम खतरे वाला पेशा बन गया है।
(9) अनैतिक मानव व्यापार पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता जितना कि नशीले पदार्थों एवं हथियारों के अवैध व्यापार पर।
(10) दिलचस्पी रखने वाले विभिन्न पक्षों के स्तर पर सूचना की कमी। सूचना प्रदान करने वाले कोई अभिकरण मौजूद नहीं हैं। इसलिए अधिक जागरूकता,बेहतर आंकड़ा–संकलन और संवेदीकरण कार्यक्रमों की आवश्कता।

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न पूर्णतः अक्षम्य

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से महिलाओं की सुरक्षा करने की दिशा में राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक ''आचार संहिता'' बना कर महिला अधिकारों के संवर्धन की ओर एक और कदम बढ़ाया है। आयोग की अध्यक्षा सुश्री ममता शर्मा ने 21 नवम्बर, 2011 को राष्ट्रीय थर्मल पावर कारपोरेशन तथा 'स्कोप' (सरकारी उपक्रमों की स्थायी काफ्रेंस) के सहयोग में आयोजित सेमिनार के अवसर पर इस ''आचार संहिता'' का ब्यौरा प्रदर्शित करने वाले एक पोस्टर का विमोचन किया।

श्री एस०पी० सिंह, डा० यू०डी० चौबे, श्री अरूप रॉय चौधरी, सुश्री ममता शर्मा, डा० चारू वलीखन्ना पोस्टरों के साथ

कार्यस्थल पर, जिसमें निजी क्षेत्रा की फर्में भी आती हैं, महिलाओं के यौन उत्पीड़न की घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए सुश्री शर्मा ने महिलाओं से कहा कि ऐसे अपराधों को कतई बर्दाश्त न किया जाये। पोस्टर का विमोचन करते हुए उन्होंने बताया कि इस विधा पर अंकुश के लिए महिलाओं तथा नियोजकों को क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए। उन्होंने बताया कि निजी फर्मों में कार्यरत महिलाओं से उन्हें अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं जहां उन्हें धमाकाया गया कि यदि वे यौन समर्पण नहीं करतीं तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया जायेगा। सदस्या चारू वलीखन्ना ने प्रस्तावित यौन उत्पीड़न विधेयक पर प्रस्तुतीकरण दिया। स्कोप के चेयरमेन श्री अरूप रॉय चौधरी, राष्ट्रीय थर्मल पावर कॉरपोरेशन के मुख्य प्रबंध निदेशक श्री यू0डी0 चौबे और स्कोप के महा–निदेशक ने भी अपनी राय व्यक्त की।

'निर्णय प्रकिया में महिलाओं की भागीदारी' पर क्षेत्रीय कार्यशाला

भारतीय तृणमूल अध्ययन एवं शोध अकादमी ने तिरूपति में राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रयोजित एक कार्यशाला का आयोजन किया जिसका विषय था 'भारत में समेकित विकास के लिए निर्णयकारी प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारीः नीति निर्माण और क्रियान्विति'।

कार्यशाला का उद्घाटन चेन्नई के कैंसर संस्थान के अध्यक्ष डा0 वी0 शान्ता ने किया। राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व सदस्य श्रीमती के0 शान्ता रेड्डी ने मुख्य भाषण दिया।

भारत में राजनीतिक निर्णय की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के बारे में कार्यशाला में निम्नलिखित 5 संकल्प प्रस्तावित किए गये : (1) प्रशासनिक पटुता एवं राजनीतिक प्रबंधन में क्षमता–निर्माण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रबंध महिलाओं के लिए अलग से किया जाये (2) ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की साक्षरता दर बढ़ाई जाये (3) तृणमूल स्तर पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गो तथा अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाओं में जागरूकता लाने तथा उनके प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने वाली महिला सशक्तिकरण की सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों की सिविल सोसाइटी द्वारा जानकारी देना (4) विश्वविद्यालयों एवं शोध संस्थाओं के बीच तथा गैर सरकारी एवं बौद्धिकों के बीच नेटवर्क स्थापित करना ताकि उनकी विशेषज्ञता एवं मंत्रणा का लाभ महिला सशक्तिकरण के लिए उठाया जा सके (5) गर्भपात के विरूद्ध बड़े पैमाने पर अभियान चलाना।

आयोग की सदस्य सचिव ने यरवदा महिला जेल का मुआयना किया

राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य सचिव सुश्री अनिता अग्निहोत्री ने हाल ही में महाराष्ट्र के यरवदा महिला जेल का मुआयना किया।

इस जेल में 340 महिला बंदी हैं जिनमें से 17 के साथ उनके बच्चे भी हैं। उनकी सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि प्रदर्शित करती है कि अधिकांश महिलाएं गरीब और अशिक्षित हैं। उनके ऊपर हत्या, दहेज संबंधी अपराध, चोरी, डकैती, जेबकतरी, अपहरण करने और भगाने के मामले हैं। बंगलादेशियों सहित, इनमें 33 विदेशी राष्ट्रिक है, 66 विचाराधीन बंदी हैं, 274 सजायाफ्ता हैं।

जेल परिसर ठीकठाक और पर्याप्त है, किन्तु बंदियों की संख्या बहुत अधिक है। रात को उन्हें सोने के स्थान की तंगी का सामना करना पड़ता है और स्नानगृहों तथा शौचालयों की कमी से असुविधा होती है। डाक्टरी सुविधा अपर्याप्त है । बंदियों की बड़ी संख्या की दृष्टि में एक पूर्णकालिक डाक्टर तथा एक और जेलर की आवश्यकता है।

बंदियों द्वारा नियुक्त वकील या तो बहुत व्यस्त हैं अथवा मामलों में रुचि नहीं रखते। इसलिए इन महिलाओं को पता नहीं कि उनके द्वारा दायर अपील की क्या स्थिति है। सुझाव है कि (उच्च न्यायालय के निदेशों के अनुसरण में) गैर सरकारी संगठनों की सहायता से उन्हें कानूनी विशेषज्ञों की एक टीम की मदद मुहैया कराई जाये। बंदियों के बच्चों को बीमारियों से बचने के टीके लगाए जाने चाहिए। स्तनपाई माताओं तथा छोटे बच्चों के लिए कुछ पूरक भोजन का प्रबंध किया जाना चाहिए। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं द्वारा माताओं और बच्चों को मंत्राणा दिए जाने का सुझाव कारगर साबित हो सकता है।

महत्वपूर्ण निर्णय

◆ 'बेरोजगार' व्यक्ति को पत्नी को गुजारा देने का आदेश

एक मुकदमा न्यायालय ने एक पुरुष का यह तर्क खारिज कर दिया कि वह बेरोजगार है और इसलिए अपनी विरक्त पत्नी को गुजारा देने में असमर्थ है। न्यायालय ने कहा कि ''बेरोजगारी का बहाना बना कर पत्नी और बच्चे को गुजारा देने से बचने का प्रयत्न करना एक आम प्रवृत्ति बन गयी है जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। ऐसी परिस्थितियों में न्यायालय को अनुमान लगाना पड़ता है।'' यह कहते हुए मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने उस व्यक्ति को आदेश दिया कि वह अपनी पत्नी को 4000 रु0 मासिक गुजारा दे क्योंकि पुत्री की हिरासत भी पत्नी के पास है और पत्नी की कोई आमदनी नहीं है।

◆ न्यायालय ने कहा कि यदि पत्नी छोड़ कर चली जाये तो गुजारा पाने की हकदार नहीं होगी

दिल्ली के एक न्यायालय ने यह कहते हुए एक महिला को गुजारा प्रदान करने से इनकार कर दिया कि यदि कोई महिला अपनी खुद की मर्जी से पति को छोड़ कर चली जी है तो वह पति से गुजारा मांगने की हकदार नहीं हो सकती।

अतिरिक्त सैशन जज राजीव बंसल ने कहा कि ''यह एक सुनिर्धारित कानूनी स्थिति है कि कोई व्यक्ति स्वंय अपनी गलती का लाभ नहीं उठा सकता। यह नहीं हो सकता कि पत्नी स्वयं अपनी मरजी से घर छोड़ कर चली जाये और पति से गुजारा पाने का दावा भी करे।''

◆ खाड़ी के देशों में काम पर जाने की अपेक्षा करने वाली महिलाओं के लिए मापदंड कठोर किए गये

सरकार ने खाड़ी देशों में काम पर जाने की अपेक्षा करने वाली महिलाओं को शोषण से सुरक्षा प्रदान करने के प्रयोजन से उनके लिए देशान्तर नियम कठोर कर दिए हैं।

खाड़ी क्षेत्र में तथा अन्य देशों में ईसीआर के अंतर्गत उनके जाने की आयु सीमा 30 वर्ष कर दी गयी है। मार्गनिर्देशों के अनुसार, घरेलू काम के लिए जाने वाली प्रत्येक महिला को उसके नियोक्ता द्वारा एक प्री–पेड मोबाइल फोन दिया जायेगा । जो महिलाएं ग्रेजुएट नहीं है उन्हें 17 देशों में काम के लिए जाने पर ईसीआर अनुमति पत्रा प्राप्त करना होगा।

महिलाओं के प्रति अपराधों से संबंधित कानून तथा कानूनी कार्यवाही

धारा	अपराध	सजा	जमानती/गैर जमानती
228 क भा.दं.सं. (भारतीय दंड संहिता)	बलात्कार एवं कतिपय अन्य अपराधों की शिकार महिलाओं की पहचान जाहिर करना	दो मास तक का कारावास और जुर्माना	संज्ञेय और जमानती
304 ख भा.दं.सं.	अश्लील हरकतें एवं गाने	3 मास तक का कारावास, या सजा या दोनों	संज्ञेय और जमानती
294 भा.दं.सं.	विवाह के सात वर्षों के भीतर अस्वाभाविक कारणों से मृत्यु	न्यूनतम 7 वर्ष का कारावास जो आजीवन तक का कारावास हो सकता है	संज्ञेय और गैर–जमानती
306 भा.दं.सं.	आत्महत्या के लिए उकसाना	10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना	संज्ञेय और गैर–जमानती
354 भा.दं.सं.	महिला का शील भंग करने की नीयत से उस पर प्रहार या आपराधिक बल का प्रयोग	2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों	संज्ञेय और जमानती
366 भा.दं.सं.	महिला का विवाह के लिए या गैर कानूनी संभोग आदि के लिए अपहरण या उसे भगा ले जाना	10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना	संज्ञेय और गैर–जमानती
376 भा.दं.सं.	बलात्कार	न्यूनतम 7 वर्ष का कारावास जो आजीवन तक का हो सकता है और जुर्माना	संज्ञेय और गैर–जमानती
406 भा.दं.सं.	स्त्रीधन की गैर वापसी और अन्य विश्वास–हनन	3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना या दोनों	संज्ञेय और गैर–जमानती
498 क भा.दं.सं.	विवाहित स्त्री पर क्रूरता करना	3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना	संज्ञेय और गैर–जमानती
509 भा.दं.सं.	महिला के शील को आहत पहुंचाने वाले शब्द, हावभाव या क्रिया	1 वर्ष तक का सरल कारावास या जुर्माना या दोनों	संज्ञेय और जमानती

अपराध पीड़ित महिलाएं यहा संपर्क कर सकती हैं: विशेष पुलिस यूनिट (महिलाएं और बच्चे) नानकपुरा, मोतीबाग गुरुद्वारा के पास, नई दिल्ली–110021 **फोनः** 24673366, 24121234 अथवा **राष्ट्रीय महिला आयोग** से संपर्क करें।

अग्रेतर सूचना के लिए देखें हमारी वेबसाइट :
www.ncw.nic.in

राष्ट्रीय महिला आयोग, 4–दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली–110002 द्वारा प्रकाशित सम्पादक : गौरी सेन। प्रोलिफिक इनकॉरपोरेटेड, ए–507ए, शास्त्री नगर, दिल्ली–110052 द्वारा मुद्रित।